						पुत्र बसन्ता हिस्सा-1/36 जाति-मीणा, विशनवाई पत्नि स्व. नथुवा हिस्सा-1/30 जाति-मीणा, शान्ति पुत्री जयफूल हिस्सा-1/9 जाति-मीणा, शीला पुत्री नथुवा हिस्सा-1/30 जाति-मीणा सा. देह खातेदार										

नोट :–

1. क्र0सं0 6 का विवरण मुताबिक राजस्व रिकार्ड ख0नं0 586 का रकबा 0.07 है0 किन्तु अवाप्त भूमि आदो में रकबा 0.0848 है0 अंकित किया हुआ है जो कि गलत है।
2. क्रम संख्या 22 का विवरण ख0नं0 675 रकबा 3.46 है0 मुताबिक राजस्व रिकार्ड रेल्वे विभाग के नाम है। अवाप्त भूमि के जारी नक्शे में उक्त ख0नं0 का अवाप्त किया हुआ रकबा अंकित नहीं है।
3. क्रम संख्या 32 का विवरण ख0नं0 709 के स्थान पर खसं0 710 होना चाहिए। राजस्व नक्शा इसी प्रकार है।
4. क्रम संख्या 28 का विवरण ख0नं0 698 में से भूमि अवाप्त नहीं की गई है।
5. क्रम संख्या 31 का विवरण ख0नं0 704 का अवाप्त भूमि में केवल उत्तर पश्चिम कोरनर आ रहा है जिसका रकबा 1 मीटर है।
6. क्रम संख्या 42 का विवरण ख0नं0 968 के 2150/968 एवं 2149/968 बने है। जिसमें का त का राजकौर पत्नि राजूलाल का ख0नं0 2150/968 आता है। जिसमें 3 नीम पेड, 2 बम्बूल पेड, 2 छोंकरा पेड तथा का तकार सुरेशचन्द पुत्र धनपाल का ख0नं0 2149/968 है जिसमें 1 पीपल, 2 छोंकर पेड है।
7. क्रम संख्या 43 का विवरण ख0नं0 3797/1 राजस्व ग्राम सीकरोदामीना में न होकर राजस्व ग्राम हिण्डोन में स्थित है।
8. क्रम संख्या 45 का विवरण मुताबिक राजस्व रिकार्ड ख0नं0 697/2067 का कुल रकबा 0.09 है0 है अवाप्त किया हुआ रकबा 0.0690 है0 है परन्तु अवाप्त भूमि नक्शा में ख0नं0 697/2067 का सम्पूर्ण रकबा अवाप्त किया हुआ अंकित है।

स्थान :-

दिनांक :-

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग।

सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 13, बुधवार, *शाके 1946*-सितम्बर 04, *2024*

Bhadra 13, Wednesday, Saka 1946- September 04, 2024

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

प्रपत्र - 9

(धारा - 19 - भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत घोषणा और सार)

(नियम 21 के उपनियम-(1) देखें)

कार्यालय भूमी अवाप्ति अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी हिंडोन जिला करौली

घोषणा

करौली, अगस्त 13, 2024

संख्या 20249729757 :-चूंकि राजस्थान सरकार को प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कोटा मथुरा रोड रलवे समपार **एल सौ 208** पर आरओबी निर्माण कार्य के लिए आवश्यक है|

अत: घोषणा की जाती है कि मानक माप के अनुसार **3.3596** हैक्टर भूमी के खण्डों का उपरोक्त परियोजना के लिए **ग्राम सुरोठ** एवम **धन्दावली** कि भूमी का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु अधिग्रहण किया जाना है| जिसका विस्तार से विवरण संलग्न सूची के अनुसार है|

अधिग्रहण की जाने वाली भूमी का विवरण निम्नानुसार है :-

जिला	तहसील	ग्राम/ नगर	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हैक्टर में) (मानक माप)
1	2	3	4	5
करौली	सुरोठ	सुरोठ	कुल खसरा 29 (सूची संलग्न)	**2.7653**
		धन्दावली	कुल खसरा 10 (सूची संलग्न)	0.5943
		योग	**कुल खसरा** 39	**3.3596**

यह घोषणा भूमी अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता की धारा 15 के प्रावधानों के तहत भूमी में रूचि रखने वाले सभी लोगों को उक्त भूमी के अधिग्रहण के लिए आपत्तियों को सुनने के बाद व सरकार के द्वारा अनुमोदित करने के उपरांत की गई है|

भू-अर्जन के कारण पुनर्वास होने वाले परिवारों की संख्या शून्य है|

कोयला, लौह-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खदानों के उपरोक्त भूमी या उपरोक्त भूमी